प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' चालीस '

[27/7/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 3187]

परिशिष्ट प्रपत्र - 1

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय

कमांक एफ 4–4/09/2009/2/34 भोपाल, दिनांक 01 FEB 2010

प्रति

1. प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

2. मुख्य अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
परिक्षेत्र– भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर/(विद्युत/यांत्रिकी) भोपाल।

3. समस्त अधीक्षण यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मण्डल, मध्यप्रदेश ।

4. समस्त कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मध्यप्रदेश ।

विषयः– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु मानदण्डों का निर्धारण ।

—0—

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के प्रदेश में कियान्वयन के लिये गठित शिखर समिति द्वारा किये गये अनुमोदन के अनुसार प्रदेश में ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम के कियान्वयन के लिये राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार मानदण्ड निर्धारित किये जाते है :–

509/PUS
02.2.10

EE(wom)

EE YN-C
2/2/10

A.E(M)
3.2.10

(1) ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएं 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जलप्रदाय हेतु रूपांकित एवं कियान्वित की जाएं ।

(2) ग्राम के प्रत्येक परिवार के लिये मानदण्डों के अनुसार पेयजल उपलब्ध हो, इसका प्रयास किया जाये ।

(3) ग्रामीण नलजल योजना बनाने एवं कियान्वित करने के पूर्व ग्राम पंचायतों द्वारा योजनाओं का संचालन एवं संधारण करने की सहमति आवश्यक है। नई नीति की आवश्यकतानुसार, परिवार मूलक जलप्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 1000 से हजार अधिक जनसंख्या (2001 की जनगणना पर आधारित) वाले ग्रामों में नलजल प्रदाय योजना का कियान्वयन इस प्रकार किया जाये कि पहले अधिक जनसंख्या वाले बड़े ग्रामों में जल प्रदाय योजनाओं का कियान्वयन किया जाये तथा अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों में जलप्रदाय व्यवस्था पूर्ण होने के उपरांत एक हजार तक की जनसंख्या के ग्रामों में योजनाएं कियान्वित की जायें। एक हजार से कम जनसंख्या वाले ग्रामों में स्पॉट सोर्स योजना अथवा हैण्डपंप योजनाओं का कियान्वयन किया जाए।

नलजल योजनाओं का कियान्वयन उन्हीं ग्रामों में किया जाये, जहॉं जल प्रदाय प्रारंभ होने पर पंचायतों द्वारा योजना हस्तांतरित कर उसका उपयुक्त रूप–से संचालन संधारण किया जा सकें तथा जल प्रदाय प्रारंभ होने पर ये योजनाएं ग्राम पंचायतों को सौंप दी जाएं। विद्युत कनेक्शन, संबंधित ग्राम पंचायत के नाम से ही लिया जाएं। सभी योजनाएं ग्राम पंचायतों एवं ग्राम पंचायत स्तरीय जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम के लिए गठित समितियों के परामर्श से ही प्रस्तावित की जायें ।

(4) सभी ग्रामीण परिवारों के लिये 500 मीटर की परिधि में पेयजल स्त्रोत उपलब्ध कराये जाने के लिये तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 30 मीटर की उंचाई के अंतर्गत पेयजल स्त्रोत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये उपरोक्तानुसार योजनाएं कियान्वित किया जायें ।

(5) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बसाहटों में प्राथमिकता के आधार पर कार्य किये जाएं। गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों की योजनाओं को भी प्राथमिकता के आधार पर कियान्वित किया जायें ।

उपरोक्त मानदण्डों के अनुसार योजनाओं के कियान्वयन हेतु पूर्ण जिले की आवश्यकता का आकलन कर पहले ग्राम जल सुरक्षा योजनाएं बनायी जाएं तथा उस आधार पर जिला जल सुरक्षा योजनाएं बनाकर कार्य किये जाए, जिससे निर्मित योजनाएं स्थायी रूप–से उपयोगी हों तथा इनसे निरंतर स्वांकित जल आपूर्ति सुनिश्चित हो सकें। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों के सबंध में प्राथमिकता का निर्धारण आवश्यकतानुसार, जिला जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से किया जावे ।

(आर0के0स्वाई)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ0कएफ 4–4/09/2009/2/34 भोपाल, दिनांक

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग म0प्र0, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अग्रेषित ।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
4. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश कीओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

परिशिष्ट प्रपत्र-2

विधान सभा प्रश्न कमांक 3187 (तारांकित) के उत्तर का परिशिष्ट

प्रश्नकर्ता – श्री अमरसिंह यादव

(सदन में उत्तर देने का दिनांक 27.07.2016)

राजगढ़ जिले की विधानसभा राजगढ़ में विभाग द्वारा दिनांक 01–04–2013 से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत नलजल योजनाओं की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	योजना / ग्राम का नाम	योजना की स्वीकृति दिनांक	योजना की अद्यतन स्थिति	योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	राजगढ़	आवर्धन नलजल योजना (पाईप लाईन विस्तार कार्य) ग्राम कल्पोनी	06–06–2015	चालू	ग्राम पंचायत कल्पोनी
2	राजगढ़	आवर्धन नलजल योजना (पाईप लाईन विस्तार कार्य) ग्राम देहरीबामन	23–02–2016	स्वीकृत आवर्धन योजना का कार्य प्रगति पर है। पूर्व क्रियान्वित योजना से जलप्रदाय चालू है।	ग्राम पंचायत देहरीबामन

हस्ता/–
कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

13.7
मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
भोपाल परिक्षेत्र, भोपाल